राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्र० सं०	योजना कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	योजना/कार्यक्रम के तहत किये जाने वाले कार्य	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1	भूमि अधिग्रहण में मुआवजा/विलंब/अनियमितता के संबंध में	1. वर्तमान में राज्य अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भू अर्जन अधिनियम 2013 एनएम०एक्ट 1956 एवं रेलवे (संशोधित अधिनियम 2008 के प्रावधानानुसार की जा रही है। 2.एन०एच०एक्ट, 1956 एवं रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के तहत भू अर्जन की कार्रवाई में केन्द्र सरकार (एन०एच०ए०आइ० एवं रेलवे) की अधिसूचना से सक्षम प्राधिकार, भूमि अर्जन नामित किया जाता है। जिन्हें भू अर्जन की कार्रवाई यथा-भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना / अधिघोषणा, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा का भुगतान इत्यादि सम्पादित करनी होती है। 3.भू अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अर्जित की जानेवाली भूमि के संबंध में रकवा-50.00 एकड़ भूमि तक के अर्जन हेतु समाहर्ता को सक्षम सरकार घोषित किया गया है। रकवा-50.00 एकड़ भूमि से अधिक रकवा के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना/अधिघोषणा की कार्रवाई की जाती है। साथ ही अर्जनाधीन भूमि के दर के निर्धारण हेतु संबंधित जिले के समाहर्ता को 5.00 करोड़ रू० तक की, प्रमंडलीय आयुक्त को 5.00 करोड से अधिक 15.00 करोड़ रु० तक तथा 15.00 करोड़ रू० से अधिक होने पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इसी प्रकार अर्जनाधीन भूमि के प्राक्कलन के संबंध में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से समाहर्ता को 25.93 करोड़ रू० तक, प्रमंडलीय आयुक्त को रू0 25.93 से अधिक 64.33 करोड तक एवं रू0 64.33 करोड से अधिक होने पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। 4.सरकार स्तर से निर्गत अधिसूचना के संबंध में किसी प्रकार की आपति संबंधित रैयत द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सुनवाई कर निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आपति होने पर अगर मामले में भू अर्जन की कार्रवाई एन०एच०एक्ट के तहत की गयी है तो मामले	प्रभावित पक्ष (हितबद्ध रैयत)	1. भू—अर्जन अधिनियम, 2013 में संबंधित समाहर्ता 2. NH Act 1956 एवं रेलवे अधिनियम में CALA (सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन)

		का मध्यस्थ-सह-प्रमंडलीय आयुक्त/व्यवहार न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है तथा रेलवे एक्ट के तहत अर्जन की जा रही भूमि के मामले में विवाद होने पर व्यवहार न्यायालय एवं भू अर्जन 2013 के तहत अर्जन की जा रही भूमि के मामले को प्राधिकार न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का प्रावधान है। इस संबंध में यह भी अंकित करना है कि भू अर्जन के मामलो के त्वरित गति से निपटारे हेतु सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भू अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार प्राधिकार न्यायालय का गठन किया गया है।		
2	गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती के संबंध में	राज्यान्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वास भूमिहीन परिवारों को 3—5 डी0 वास भूमि जमीन की बन्दोस्ती किये जाने हेतु अभियान बसेरा कार्यक्रम संचालित है।	सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वास भूमिहीन परिवार	संबंधित जिला के समाहर्ता
3	गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में	वासभूमिहीन परिवारों को पर्चा/बन्दोवस्ती से प्राप्त भूमि पर दखल कब्जा दिलाने हेतु दखल—देहानी कार्यक्रम संचालित है।	पर्चा/बन्दोवस्ती प्राप्त परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी
4	भूदान से प्राप्त भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में	1-दखल—देहानी कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दोवस्त जमीन पर कब्जा दिलाया जाता है। 2-बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा—22 के प्रावधानों के तहत भू—दान पर्चा भू—धारी को भूमि से बेदखल किये जाने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा दखल दिलाया जायेगा।	भू—दान पर्चा/बन्दोवस्ती प्राप्त परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता
5	प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्राप्त भूमि से बेदखली के सबंध में	दखल—देहानी कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दोवस्त जमीन पर कब्जा दिलाया जाता है।	BPPHT Act 1947 अन्तर्गत पर्चा प्राप्तव्यक्ति	संबंधित अंचल अधिकारी
6	भू-हदबंदी अधिनियम से प्राप्त भूमि से बेदखली के संबंध में	दखल—देहानी कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दोवस्त जमीन पर कब्जा दिलाया जाता है।	बन्दोवस्ती प्राप्त व्यक्ति/ परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी
7	क्रय नीति के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये जमीन से बेदखली के संबंध में	दखल—देहानी कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दोवस्त जमीन पर कब्जा दिलाया जाता है।	बन्दोवस्ती प्राप्त व्यक्ति/ परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी
8	भूदान से प्राप्त भूमि सम्पुष्टि के संबंध में	बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा—11(5) के प्रावधान के तहत भू—दान भूमि की सम्पुष्टि—दानकर्ता का दान भूमि में में अधिकार, अभिधान तथा हित निहित हो को संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा किया जाता है।	भूदान यज्ञ समिति द्वारा सम्पुष्ट भूमि को भूमिहीन परिवारों के मध्य वितरण किया जाता है।	संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता
9	बेलगान भूमि के लगान निर्धारण के संबंध में	बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 158 (सी0) के प्रावधान के तहत बेलगान भूमि का लगान निर्धारण भूमि सुधार उप	रैयत तथा सरकार	संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता

		समाहर्ता द्वारा किया जाता है।		
10	प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत पर्चा प्राप्त करने के संबंध में	बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम, 1947 (BPPHT Act 1947) अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को भूमि का वासगीत पर्चा दिया जाता है।	बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासभूमि BPPHT Act 1947 अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति	संबंधित अंचल अधिकारी
11	भू-हदबंदी अधिनियम से प्राप्त भूमि के अन्तर्गत पर्चा निर्गत किये जाने के संबंधमे	अभियान बसेरा कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवारों को वासभूमि की बन्दोवस्ती की जाती है।	सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवार	संबंधित जिला समाहर्ता
12	क्रय नीति के अन्तर्गत जमीन का क्रय कर उपलब्ध कराना	सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि क्रय नीति अन्तर्गत रैयती भूमि का क्रय कर लाभूकों को जमीन की बन्दोवस्ती।	सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवार।	संबंधित अंचल अधिकारी
13	अतिक्रमण	गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। गैरमजरूआ आम/खास, कैसरे हिन्द, खासमहाल एवं विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई। कब्रस्तान, श्मशान एवं लोक भूमि पर अवस्थित जल निकाय आदि	आम व्यक्ति	संबंधित अंचल अधिकारी
14	सक्षम कोटि के गृह विहीन परिवारों के द्वारा वास भूमि प्राप्त करने के संबंध में	अभियान बसेरा कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवारों को वासभूमि की बन्दोवस्ती की जाती है।	सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी/ संबंधित जिला समाहर्ता
15	भू-लगान रसीद निर्गत	जमावंदीदार भू—लगान भूगतान एवं ततसंबंधी रसीद का निर्गमण (Online Portal से)	सभी जमावंदी रैयत(Online Portal से)	संबंधित अंचल अधिकारी/राजस्व कर्मचारी
16	साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में	बिहार साहूकारी अधिनियम, 1974 की धारा—5 के तहत अंचल अधिकारी द्वारा साहूकारी लाइसेंस निर्गत किया जाता है।	साहूकार तथा उधार प्राप्त कर्त्ता।	संबंधित अंचल अधिकारी
17	भूमि मापी	रैयती भूमि की अमीन द्वारा मापी	संबंधित भू—स्वामी/रैयत	संबंधित अंचल अधिकारी
18	सैरात बंदोबस्ती से संबंधित मामले	जिला स्तर पर समाचार पत्र में प्रकाशित तिथि को संबंधित सैरात का उच्चतम डाक के आधार पर सैरात बन्दोवस्ती की जाती है। दस लाख रूपये से अधिक के सैरात बन्दोवस्ती के लिए विभाग से (माननीय मंत्री) की सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाती है।	उच्चतम डाक वक्ता को	1. अंचल अधिकारी— रूपया 20,000/— तक 2. भूमि सुधार उप समाहर्ता —रूपया 50,000/— तक 3. अनुमण्डल पदाधिकारी— रूपया 1,00,000/— तक

				4. अपर समाहर्ता— रूपया 2,00,000/— तक 5. समाहर्ता— रूपया 5,00,000/— तक 6. प्रमण्डलीय आयुक्त— 10,00,000/— तक 7. राज्य सरकार(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)— रूपया 10,00,000/— से अधिक
19	कृषि भूमि संपरिवर्तन के संबंध में	बिहार कृषि भूमि (गैर—कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के तहत कृषि भूमि का उपयोग उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने तथा वाणिज्यिक गतिविधि का विस्तार के लिए।	इच्छुक व्यक्ति/संस्था/समिति/उद्यमी एवं बिहार सरकार	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी
20	निजी भूमि विवाद से उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या के संबंध में	निजी/रैयती भूमि के स्वामित्व/दखल से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें स्वत्व का जटिल मामला नहीं हो सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से संबंधित मामला	निजी भू—स्वामी आवंटी या बंदोबस्तीधारी	संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता
21	गलत जमाबंदी रद्द करने के संबंध में	बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के अध्याय—VII में जमाबन्दी का रद्दीकरण का उल्लेख किया गया है।	विछुब्ध रैयत/परिवादी	संबंधित अपर समाहर्ता
22	खासमहाल लीज नीति के तहत नवीकरण का मामला	नियतकालीन ली के मामलों में लीज अवधि पूर्ण होने पर लीज डीड में अंकित शर्तों एवं बिहार खासमहाल मैनुअल, 1953 तथा राजस्व विभागीय परिपत्रों के प्रावधान अनुसार लीज नवीकरण की कार्रवाई की जाती है।	संबंधित लीज होल्ड भू—खण्ड के लीजधारी अथवा उनके वैध वारिसानों को।	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
23	बिहार राज्यपाल के नाम से निःशुल्क भूमि निबंधन हेतु अनुमति के सन्दर्भ में	-	-	-
24	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायते	भू—स्वामी/रैयत द्वारा धारित कुल भूमि का विवरण उपलब्ध कराना	संबंधित भू—स्वामी/ रैयत Online Application द्वारा	संबंधित अंचल अधिकारी
25	खास महाल भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामले	लीज होल्ड भूमि के लीजधारी के अलावे किसी अवैध दखलकार का दखल पाये जाने पर राजस्व विभागीय प्रावधानानुसार भूमि सरकार के दखल—कब्जे में ले लिया जाता है।	सरकार के दखल कब्जे में लिया जाता है।	संबंधित जिला के समाहर्ता।
26	जमीदारी बॉण्ड एवं	बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा—19 तथा धारा—	भूतपूर्व मध्यवर्त्ती के वंशज	वित्त विभाग के संकल्प

	क्षतिपूर्ति/मुआवजा से संबंधित मामले	32 के तहत भूतपूर्व मध्यवर्ती अथवा उनके बंशज को भुगतान का प्रावधान किया गया है।		सं0—477/वि0 दिनांक—19.04.2023 द्वारा बंध—पत्र पर दावा करने वाले को बंध—पत्र की जाँचोपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।
27	अभियान बसेरा योजना से संबंधित परिवाद	अभियान बसेरा कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि की बन्दोवस्ती	सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवार	संबंधित अंचल अधिकारी/ संबंधित जिला समाहर्ता
28	अभिलेखागार से संबंधित मामले	पूर्व से सत्यापित/हस्ताक्षरित सभी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति निर्गत करना।	आम नागरिक (निर्धारित शुल्क भुगतान कर)	संबंधित कार्यालय प्रधान
29	(क) अंचल कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	अंचल कार्यालय में संधारित पूर्व से सत्यापित/हस्ताक्षरित सभी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति निर्गत करना।	आम नागरिक (निर्धारित शुल्क भुगतान कर)	संबंधित अंचल अधिकारी
	(ख) भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संधारित पूर्व से सत्यापित/हस्ताक्षरित सभी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति निर्गत करना।	आम नागरिक (निर्धारित शुल्क भुगतान कर)	संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता
	(ग) अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित पूर्व से सत्यापित/हस्ताक्षरित सभी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति निर्गत करना।	आम नागरिक (निर्धारित शुल्क भुगतान कर)	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी
30	पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	वर्तमान में अप्रभावी	-	-